वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017-फाल्गुन 19, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2017

क्र.-04-02/195/यो.रूपां./477.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

(1) **नाम :** ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.

(2) **परियोजनाओं का विवरण :** परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) 220 के. व्ही. पारेषण लाइनें :-

1. 400 के. व्ही. (सी. डब्लू. आर. टी. एल. अडानी) उपकेन्द्र मालनपुर हेतु 220 के. व्ही. मालनपुर-मेंहगांव लाईन का लीलो कार्य, लम्बाई-2 x 8 कि.मी., अनुमानित लागत-900.00 लाख रु.

2. (i) 400 के. व्ही. (सी. डब्लू. आर. टी. एल. अडानी) उपकेन्द्र मालनपुर से 220 के. व्ही. सबलगढ़ के एक सर्किट का 220 के.व्ही.उपकेन्द्र मुरैना में लीलो कार्य, लम्बाई-2 x 0.5 कि.मी.,

(ii) मुरैना (टीबीसीबी)-सबलगढ़ (म. प्र.) 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-92 कि.मी.

कुल लम्बाई 93 कि. मी. कुल अनुमानित लागत-12402.82 लाख रु.

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

1. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र पीथमपुर से मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड के प्रस्तावित पालिस्टर फिल्म निर्माण इकाई, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर तृतीय, पीथमपुर जिला धार को 5 एम.व्ही.ए. अनुबंधित भार विद्युत आपूर्ति करने हेतु 132 के. व्ही. डी. सी.एस.एस. लाइन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 3.0 कि.मी., अनुमानित लागत-544.13 लाख रु.

(यह कार्य पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 34, दिनांक 19-8-2016 का संशोधन)

2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र नरसिंहपुर से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतिकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 8.0 कि. मी., अनुमानित लागत-779.28 लाख रु.

(यह कार्य पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 19, दिनांक 06-05-2016 का संशोधन)

3. एन.वी.डी.ए. ओ एस पी केनाल संभाग धामनोद के पंपिंग स्टेशन-1, ग्राम सिरले, तहसील बड़वाहा, जिला खरगौन को 20 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही. उपकेन्द्र बड़वाहा से पंपिंग स्टेशन-1 सिरले तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 2.5 कि. मी., अनुमानित लागत-282.27 लाख रु.

4. एन.वी.डी.ए. ओ एस पी केनाल संभाग धामनोद के पंपिंग स्टेशन-2, ग्राम मुख्तयारा, तहसील बड़वाहा, जिला खरगौन को 20 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बड़वाहा से पंपिंग स्टेशन-2 मुख्तयारा तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 4.0 कि. मी., अनुमानित लागत-280.00 लाख रु.

5. एन.वी.डी.ए. ओ एस पी केनाल संभाग धामनोद के पंपिंग स्टेशन-3 एवं 4, ग्राम कालाकुंद निकट सिमरोल को 40 एम. व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सिमरोल से पंपिंग स्टेशन-3 एवं 4, कालाकुंद तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 x 8.0 कि. मी., अनुमानित लागत-862.00 लाख रु.

(III) कुल अनुमानित लागतः

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. **160.50** करोड़. है.

(3) टावर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकारः

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंबे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

एम. के. नुन्हारिया,
मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स),
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

(719-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शैलेन्द्र कुमार सचान आत्मज श्री शिवप्रसाद सचान निवासी म. न. 2 बी, 142-नेहरू नगर, बाजनमठ, जबलपुर मध्यप्रदेश कई दस्तावेजों में मेरा नाम पूर्व से शैलेन्द्र कुमार आत्मज श्री शिवप्रसाद सचान दर्ज हो गया है. जिसे मैंने संशोधित करवा लिया है. अतः आज दिनांक से मुझे शैलेन्द सचान आत्मज शिवप्रसाद सचान के नाम से जाना/पहचाना जावे, व मुझसे संबंधित सभी अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(शैलेन्द्र कुमार सचान)

नया नाम :

(शैलेन्द सचान)

(720-बी.)

CHANGE OF NAME

That Before marriage I was known as Santha kumari Govinden After marriage I have Changed my name and hence forth i shall be known as Smt. Govinden Shantha vasudharan w/o Shreedharan vasudharan resident of 502 Ivory tower Apt. Near Dainik Bhaskar Press Civil lines Jabalpur (M.P.) 482001.

Old Name:

(SANTHA KUMARI GOVINDEN)

New Name :

(GOVINDEN SHANTHA VASUDHARAN)

(721-B.)

CHANGE OF NAME

I Asha W/o Shiv harsh age 56 years, resident E-105, Mahashakti Nagar, Ujjain 456010

I Declare that my name is change Shiv Kumari (Old name) to Asha, (New name).

Old Name:

(SHIV KUMARI)

New Name :

(ASHA)

(722-B.)

CHANGE OF SURNAME

Before my marriage my name in all my Educational Documents and certificate, also as per Aadhaar card was Ku. RICHA JATAV D/o SHRI KISHAN LAL JATAV but after my marriage on 23-04-2016 my surname has been changed IN FUTURE ONWARDS.

My name should be read & called as:-

Old Name:

(RICHA JATAV)

New Name :

(RICHA SINGH)
W/o Shri Bachan Singh,
45, Cantt Pentinaka,
Sadar Bazar, Jabalpur.

(723-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम व उपनाम नवीन कुमार पिता श्री बंशीधर वर्मा था. मैं स्वर्णकार (सोनी) जाति का होने से मैंने अपना नाम और उपनाम परिवर्तन कर नवीन सोनी कर लिया है. अब मुझे अपने नए नाम व उपनाम नवीन सोनी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नवीन कुमार)

पिता श्री बंशीधर वर्मा.

नया नाम :

(नवीन सोनी)

(724-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष कुमार चौहान पिता श्री जीवन कुमार चौहान (पता-एलआईजी-9/6, विश्वकर्मा नगर बैरसिया रोड करोद, भोपाल, म. प्र.) के नाम से जाना व पहचाना जाता था. मैंने अपने उपनाम को परिवर्तित कर आशीष अरोरा कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, अभिलेखों में मेरे परिवर्तित नाम आशीष अरोरा दर्ज किया जा कर पढ़ा जावे व आज से मुझे आशीष अरोरा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(आशीष कुमार चौहान)

नया नाम :

(आशीष अरोरा)

(725-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, दीनानाथ जायसवाल (पुराना नाम दीनानाथ शाह) आत्मज स्व. श्री बलराम शाह, निवासी म. नं. 341-ए, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल जो अब तक अपने पुराने नाम दीनानाथ शाह आत्मज स्व. श्री बलराम शाह के नाम से जाना जाता था, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से अपना पुराना नाम दीनानाथ शाह त्यागता हूँ, तथा मुझे भविष्य में मेरे नये नाम दीनानाथ जायसवाल के नाम से ही पुकारा/जाना/पहचाना जाये, मैं, भविष्य में भी अपने, अपनी पत्नि तथा संतान आदि के लिए भी इसी नाम का प्रयोग करूंगा. मुझे इसी परिवर्तित नाम से शासकीय अभिलेखों में जाना/पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :

(दीनानाथ शाह)

नया नाम :

(दीनानाथ जायसवाल)

(726-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उकंडराव उदेभान पुत्र श्री उदेभान पखाले के नाम से जाना, पहचाना जाता था सभी शासकीय दस्तावेजों, अंकसूचियों में नाम अंकित है: अब मेरा नाम बदल कर उमेश उदेभान पखाले रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे. मकान नं. बी.-83 जानकी नगर, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल.

पुराना नाम :

(उकंडराव उदेभान पखाले)

नया नाम :

(उमेश उदेभान पखाले)

(727-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पहले मेरा नाम अचला स्वर्णकार पुत्री स्व. श्री घनश्याम दास स्वर्णकार था जो कि मेरा सभी दस्तावेजों में अंकित है. अब विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती छाया वर्मा पत्नी विनय वर्मा हो गया है. अतः आगे भविष्य में मुझे श्रीमती छाया वर्मा पत्नी विनय वर्मा के नाम से ही जाना जाए.

पुराना नाम :

(अचला स्वर्णकार)

नया नाम :

(छाया वर्मा)

पत्नी-विनय वर्मा,
निवासी-बालाबाई का बाजार, लश्कर,
ग्वालियर.

(728-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती भारती साहू सूचित करती हूं कि मेरी पुत्री अदिति साहू के स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बबीता साहू दर्ज है जबकि मेरा वैधानिक नाम भारती साहू है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भारती साहू दर्ज है. अतः भविष्य में भी श्रीमती भारती साहू नाम को सही माना जावे.

पुराना नाम :

(बबीता साहू)

नया नाम :

(भारती साहू)

पता-राज पायगा रोड,
दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(729-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती यामिनी प्रधान पत्नी श्री मनीष प्रधान, निवासी-मकान नं.-सी-446, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश का विवाह के पूर्व का नाम कु. सारिका सक्सेना पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना था, पूर्व के दस्तावेजों में मेरी पक्षकारा का नाम सारिका सक्सेना दर्ज है. विवाह दिनांक 22 जनवरी, 2000 के पश्चात् मेरी पक्षकारा ने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती यामिनी प्रधान पत्नी श्री मनीष प्रधान रख लिया है और अब मेरी पक्षकारा को श्रीमती यामिनी प्रधान पत्नी श्री मनीष प्रधान नाम से जाना व पहचाना जावे.

सोमेन्द्र सक्सेना,
(एडवोकेट),
सी-142, शाहपुरा, भोपाल.

(734-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पटेल एण्ड संस, स्थित 518, पटेल नगर, ग्राम पडोरा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/41/02/00168/14, दिनांक 02-04-2014 है जिसमें दिनांक 05-08-2016 को भागीदार श्री रामकृष्ण राजपूत पुत्र श्री प्रताप सिंह राजपूत निवासी गौतम बिहार, शिवपुरी (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. एवं दिनांक 05-08-2016 को यशपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह रावत निवासी पण्डोरा सड़क, तहसील कैलारस, जिला मुरैना नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-पटेल एण्ड संस
अर्जुन सिंह रावत,
(भागीदार).

(730-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इमरान खुर्शीद हसन एण्ड संस की पार्टनरशिप फर्म के रूप में संयुक्त पंजीयक कार्यालय, फर्म्स एवं संस्थाऐं इन्दौर में पंजीकृत है.

दिनांक 15-07-2016 को फर्म में इरफान पिता खुर्शीद हसन निवासी 91/1, ओल्ड राजमोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश एवं श्रीमती जैनब पति इमरान तथा मास्टर मिजान अली पिता इमरान निवासी 46, भिश्ती मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है.

यह कि, दिनांक 15-06-2016 को फर्म के साझेदार इमरान खान पिता इलियास खान निवासी 46, भिश्ती मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश फर्म के साझेदार के रूप में सेवानिवृत्त होकर साझेदार नहीं रहे है, अब इनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है.

मे. इमरान खुर्शीद हसन एण्ड संस
जैनब खान,
(पार्टनर)
खण्डवा रेल्वे स्टेशन, खण्डवा.

(731-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित करने में आता है कि मेसर्स पी. के. इन्डस्ट्रीज पता-59 बी, 60 ए सेक्टर एफ सांवेर रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश दिनांक 01-01-2010 से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00165/10 है. जिसमें प्रकाश जैन एवं सुनील जैन भागीदार हैं.

उक्त फर्म में से दिनांक 22-12-2010 को सुनील जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक से दीपक जैन फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है. अब प्रकाश जैन एवं दीपक जैन भागीदार हैं.

अब दिनांक 31-07-2013 को दीपक जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक हो गये हैं अतः अब से भागीदारी फर्म समाप्त होकर प्रोप्रायटरशिप फर्म हो गई है. जिसके प्रोप्रायटर श्री प्रकाशचन्द जैन जी हैं.

अब दिनांक 01-12-2016 से दीपक जैन फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. और प्रोप्रायटरशिप फर्म पुनः भागीदारी फर्म हो गई है. जिसमें प्रकाशचन्द जैन एवं दीपक जैन दो भागीदार हैं.

मेसर्स पी. के. इन्डस्ट्रीज
प्रकाशचन्द जैन,
(पार्टनर).

(732-बी.)

सूचना

सर्वधारण सूचित किया जाता है कि, मैं जसविन्दर सिंह पुत्र श्री तरलोक सिंह तथा श्रीमती जसवीर कौर पत्नी श्री जसविन्दर सिंह निवासी-जी-29, इण्डस्ट्रीयल स्टेट गोविन्दपुरा, भोपाल द्वारा हमारी फर्म मेसर्स काम्पीटेन्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम की रचना तथा स्थान में परिवर्तन किया गया है.

अब फर्म का नाम मेसर्स काम्पेटेन्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम के स्थान पर काम्पीटेन्ट इलेक्ट्रिक सिस्टमस किया है. तथा पता-सी-19, पंजाबी बाग भोपाल के स्थान पर जी-29, इण्डस्ट्रीयल स्टेट गोविन्दपुरा, भोपाल म. प्र. किया गया है.

मेसर्स-काम्पीटेन्ट इलेक्ट्रिक सिस्टमस
जसविन्दर सिंह,
(पार्टनर).

(733-बी.)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन सर्वसूचित हों कि मैसर्स डी. सी. गैस सर्विस, तुलसी पार्क स्टेशन रोड, अशोकनगर, जिला-अशोकनगर में क्रमशः श्री नाथूराम पटेल पुत्र स्व. श्री दुलीचंद एवं भगवान दास चौधरी पुत्र स्व. श्री दुलीचंद इण्डेन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्म में 50%, 50% के भागीदार हैं. श्री नाथूराम पटेल दिनांक 02-03-2017 को उक्त फर्म से पृथक हो गये हैं. उनके स्थान पर उनकी पुत्री श्रीमती बबीता पति श्री राजाराम अहिरवार फर्म में सम्मिलित हो गई हैं.

फर्म में श्री भगवानदास चौधरी एवं श्रीमती बबीता अहिरवार क्रमशः 50%, 50% के भागीदार हैं. दिनांक 02-03-2017 से दोनों भागीदारों के लाभ एवं हानि इसी अनुपात में रहेंगे.

मोहर सिंह सुमन,
(एडवोकेट)
299, सुरेश नगर, ग्वालियर.
EnRol-1565/1998

(733-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष

यतः कि श्री राकेश मिश्रा तनय स्व. जी. पी. मिश्रा निवासी नेह निकुंज, बम्हनगवां, रीवा रोड सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 17 मार्च, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	:	पं. गणेश प्रसाद मिश्रा सेवा न्यास, नेह निकुंज, बम्हनगवां, रीवा रोड सतना.
2. अचल संपत्ति	:	निरंक.
3. चल संपत्ति	:	55,000/- रुपये एफ. डी.

प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्याास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा-4 के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 17 मार्च, 2017 को कथित अधि नियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 17 मार्च, 2017 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

बलवीर रमण,
रजिस्ट्रार.

(861)

न्यायालय, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास, जिला दमोह

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यह कि श्री राजेन्द्र सिंघई पिता हेमचंद सिंघई निवासी पथरिया अध्यक्ष श्री विरागोदय गौशाला पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन-पत्र किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2016 के माह अगस्त के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	:	श्री विरागोदय गौशाला पथरिया, जिला दमोह
अचल संपत्ति	:	मौजा उमराहो पटवारी हल्का नं. 16/8 तहसील पथरिया में स्थित 0.10 हे.
चल संपत्ति	:	43,000/- रु.

एस. के. अहिरवार,
अनुविभागीय अधिकारी.

(862-A)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़

प्र.क्र.5/वी-113(1)/2016-17

टीकमगढ़, दिनांक 22 फरवरी, 2017

प्रपत्र-4

[देखें नियम-5 (1)]

[लोक न्याास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक सुरेश कुमार सोनी एवं अन्य निवासी सराय मुहल्ला बानपुर दरवाजा, मकान नं. 40, वार्ड नं. 8, टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ़,

जिला टीकमगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित चल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित अचल सम्पत्ति का पंजीयन लोक न्यास में करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 27 फरवरी, 2017 को उक्त आवेदन पर विचार किया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति के संबंध में हित रखता है और कोई आपत्ति (या सुझाव) प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस सूचना के प्रकाशन से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखितरूप स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी.

परिशिष्ट-1

(लोक न्यास और चल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	"श्री 1008 श्री बांके बिहारी जू (सार्वजनिक ट्रस्ट) कटरा बाजार, टीकमगढ़"
चल संपत्ति	:	श्री श्री 1008 बांके बिहारी जू विराजमान (श्री राधा-कृष्ण जू की दो मूर्तियां धातु विग्रह) श्री श्री 108 श्री हनुमान जी विराजमान (पषाण विग्रह मूर्ति) चांदी का एक मुकुट, श्री कृष्ण जू को, एक मुकुट श्री राधा जू को एक चांदी की वासूरी, दो छोटी वांसुरी, एक छोटा मंगल सूत्र (सोने का) दो छत्र चांदी के. एक चांदी मुकुट श्री हनुमान जी को, दो शंख, दो झालर, लोटा दो (एक तांबे का, एक पीतल का) एक पंचपात्र चांदी का, एक प्लेट, एक चम्मच, दो थाले, एक आरती, दो गरुण जी, मंदिर में तीन पंखा, दो ट्यूब लाईट, दो बल्ब. धर्मशाला के ऊपर दो पंखा दो ट्यूब लाईट. एक ढाई फुट की स्टील की टंकी. धर्मशाला में एक 5 फुट की लोहे की अलमारी.

परिशिष्ट-2

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ति का विवरण)

अचल संपत्ति	:	मंदिर भवन क्रमांक 145 वार्ड नं. 10 कटरा बाजार टीकमगढ़ (म. प्र.) में मंदिर के अतिरिक्त भवन में दो द्वारिया दुकाने हैं भवन क्रमांक 179 वार्ड नं. 12 कटरा हलबाई बाजार टीकमगढ़ में द्वारिया तीन है. भवन प्लांट क्रमांक 101वार्ड क्रमांक 03, पपौरा चौराहा के पास, टीकमगढ़ खसरा नम्बर 437/293 क्षेत्रफल 704 वर्गफुट.

मनोज कुमार ठाकुर,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(983)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना व जिला-भिण्ड

प्र.क्र.01/2016-17/बी-113

दिनांक 28 फरवरी, 2017

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री सुमेरचन्द्र अग्रवाल पुत्र मायाचन्द्र अग्रवाल, निवासी बंगला बाजार, भिण्ड ने श्री गुलाबचन्द्र/मायाचन्द्र अग्रवाल ट्रस्ट के नाम से पब्लिक ट्रस्ट का गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को विचार में लिया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री गुलाबचन्द्र/मायाचन्द्र अग्रवाल ट्रस्ट पुराने रेलवे स्टेशन के पास, बंगला बाजार, भिण्ड.
चल संपत्ति	:	निरंक.
अचल संपत्ति	:	पुराने रेलवे स्टेशन के पास, बंगला बाजार, भिण्ड में 70 फुट चौड़ी पूर्व पश्चिम 130 फुट उत्तर दक्षिण जायदाद.

संतोष तिवारी,

(984) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्रं./परि./2016/1520.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रं. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थित विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निरकारण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रं./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

क्र.	नाम संस्था	विकासखंड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., सोनखेड़ी.	झिरन्या	1784/10-03-2014	1592/22-12-2014	श्री बसंत यादव, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(863)

खरगौन, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्रं./परि./2016/1325.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रं. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थित विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निरकारण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रं./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

क्र.	नाम संस्था	विकासखंड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., उमरिया.	बड़वाह	631/20-12-1883	245/01-12-2014	श्री मनोहर वास्कले, स. नि.
2.	शासकीय लिपीक साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	06/24-01-2002	1392/06-11-2009	श्री मनोहर वास्कले, स. नि.
3.	अकाश महिला साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1766/10-03-2014	1737/28-12-2010	श्री बसंत यादव, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(864)

खरगौन, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्रं./परि./2016/60.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रं. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाऐं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रं. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थित विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाऐं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियां एवं लेनदारियां का निरकारण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रं./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

क्र.	नाम संस्था	विकासखंड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., अंजनगांव	भीकनगांव	1314/15-01-2002	761/18-06-2014	श्री नवीन मुहावरे, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(865)

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्रं./परि./2016/19.—गायत्री साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी पंजीयन क्रमांक-3284, दिनांक 03 जनवरी, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2015/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुर्नजीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत/ठहराव पारित किया गया उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मंडल के नाम प्रस्तावित किये हैं. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तद्नुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक सहकारी समितियां होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गायत्री साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी पंजीयन क्रमांक 3284, दिनांक 03 जनवरी, 2003 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुर्नजीवित करता हूं. संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मंडल का अनुमोदन किया जाता है.

क्र.	नामांकित संचालक मण्डल सदस्य	पद	क्र.	नामांकित संचालक मण्डल सदस्य	पद
1	2	3	1	2	3
1.	श्री चंद्रशेखर मालवीय	अध्यक्ष	2.	श्री सुनील रावत	उपाध्यक्ष
3.	श्री दीपक विश्वकर्मा	संचालक	4.	श्री नवलकिशोर सैनी	संचालक
5.	श्री अंबिका रावत	संचालक	6.	श्री सूर्यकांत त्रिवेदी	संचालक
7.	श्रीमती ज्योति त्रिवेदी	संचालक	8.	श्रीमती संगीता मालवीय	संचालक
9.	श्री हरिशंकर परमार	संचालक	10.	श्री कपिलसिंह ठाकुर	संचालक
11.	श्री राजेश सैनी	संचालक			

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(866)

होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्रं./परि./2016/20.—माँ भगवती साख सहकारी समिति मर्यादित, राईखेड़ी तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक-2985, दिनांक 30 जुलाई, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2015/178, दिनांक 30 जनवरी, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. डी. परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुर्नजीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत/ठहराव पारित किया गया उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मंडल के नाम प्रस्तावित किये है. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तद्नुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक सहकारी समितियां होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ भगवती साख सहकारी समिति मर्यादित, राईखेड़ी तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक-2985, दिनांक 30 जुलाई, 2003 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/178, दिनांक 30 जनवरी, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुर्नजीवित करता हूं. संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मंडल का अनुमोदन किया जाता है.

क्र.	नामांकित संचालक मण्डल सदस्य	पद	क्र.	नामांकित संचालक मण्डल सदस्य	पद
1	2	3	1	2	3
1.	श्रीमती रश्मि सोनी	अध्यक्ष	2.	श्रीमती बटनबाई	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती मंत्राबाई	संचालक	4.	श्रीमती शारदा बाई	संचालक
5.	श्रीमती सविता बाई	संचालक	6.	श्रीमती राधाबाई	संचालक
7.	श्रीमती पानबाई	संचालक	8.	श्रीमती राजाबाई	संचालक
9.	श्रीमती काशीबाई	संचालक	10.	श्रीमती बसंतीबाई	संचालक
11.	श्रीमती यशोदाबाई	संचालक			

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

घनश्याम डेहरिया,

(867) उप-पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 सी अन्तर्गत)

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., रोहना	2137/26-08-1982	178/30-01-2015
2.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., निमसाडिया	2143/06-10-1982	178/30-01-2015
3.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., डांडीवाडा	2234/22-10-1983	178/30-01-2015
4.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., तीखड	2242/06-10-1982	178/30-01-2015
5.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चाटुआ	2510/27-10-1995	178/30-01-2015
6.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपलियाकलां	2529/05-12-1995	178/30-01-2015
7.	श्याम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, खापरखेडा	2963/17-06-2008	178/30-01-2015
8.	माँ नर्मदा रेशम धागाकरण सह. स., मालाखेडी	2629/10-06-1999	178/30-01-2015
9.	मिनिसटियल गृह सहकारी साख समिति, होशंगाबाद	0026/25-02-1965	178/30-01-2015
10.	सतपुडा बीज उत्पा. सहकारी समिति, पिपरिया	015/31-10-2002	178/30-01-2015
11.	श्रीनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति, वनखेड़ी	431/29-09-2003	178/30-01-2015
12.	कृषक उजा विकास सहकारी समिति, भटवाडी	0044/24-09-2003	178/30-01-2015
13.	जय माँ नर्मदा सहकारी समिति, पालीदहलवाडा	63/03-04-2005	178/30-01-2015
14.	तवा मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पाढई	2522/05-12-1995	337/07-03-2015
15.	तवा वि. आ. मत्स्योग सहकारी समिति, सारंगपुर	2512/27-10-1995	337/07-03-2015
16.	सक्षम प्रकाश सहकारी समिति, सोहागपुर	105/25-06-2009	337/07-03-2015
17.	महाबीर महिला साख सहकारी समिति, नवलगांव	42/24-09-2013	337/07-03-2015
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रांईखेडी	2943/20-08-2007	337/07-03-2015
19.	प्रगति साख सहकारी समिति, सिवनीमालवा	05/11-03-2002	337/07-03-2015
20.	अमरावती महिला साख सहकारी समिति, गाडरिया	31/17-06-2003	337/07-03-2015

अत: मैं, सहदेव परतेती, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हों तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं समितियों के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हों तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

सहदेव परतेती,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(868)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 सी अन्तर्गत)

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता जिला होशंगाबाद के संशोधित आदेश क्रमांक/परि/2016/1230, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षर कर्त्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., नहारकोला	2273/14-10-1987	1230/06-07-2016
2.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., गाडरिया	2202/30-07-1987	1230/06-07-2016
3.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., बिसौनीकलां	2287/14-10-1987	1230/06-07-2016
4.	तिलहन उत्पा. सह. समिति मर्या., चौतलाय	2146/18-10-1982	1230/06-07-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कुण्डकलां	2927/19-04-2007	1230/06-07-2016
6.	नर्मदा महिला औधोगिक सह. समिति, डोगरवाडा	2991/05-08-2008	1230/06-07-2016
7.	बंसुन्धरा रेशम औधोगिक सह. समिति, मानागांव	2999/25-08-2008	1230/06-07-2016
8.	माँ वैष्णों महिला बहु. सहकारी समिति, रांईखेडी	2763/11-06-2002	1230/06-07-2016
9.	शिक्षित बेरोजगार सहकारी साख समिति, इटारसी	2422/30-07-1993	1230/06-07-2016
10.	ताज महिला सहकारी साख समिति, इटारसी	3016/13-10-2008	1230/06-07-2016
11.	बालाजी सहकारी साख समिति, मालनी	3024/24-02-2009	1230/06-07-2016
12.	जय दुर्गे सहकारी साख समिति, मनवाडा	3027/28-02-2009	1230/06-07-2016
13.	माँ नर्मदा सहकारी साख समिति सिरवाड	3028/28-02-2009	1230/06-07-2016
14.	शिवशक्ति सहकारी साख समिति, बीकोर	3030/02-03-2009	1230/06-07-2016
15.	भारतीय साख सहकारी समिति, सोहागपुर	3018/01-01-2009	1230/06-07-2016

अतः मैं, ए. एस. सल्लाम, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हों तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होंगी एवं समितियों के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हों तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

ए. एस. सल्लाम,
परिसमपक एवं अंकेक्षक.

(869)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 07 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत)

क्र./परि./2017/क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, भिलाड़ियाखुर्द	2926/19-04-2007	715/29-03-2014
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, रतवाड़ा	2851/28-05-2005	716/29-03-2016
3.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, हिरनखेड़ा	2849/28-05-2005	717/29-03-2016
4.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, धरमकुंडी	2848/28-05-2005	718/29-03-2016
5.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, समनापुर	2754/08-01-2002	337/07-03-2015
6.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति, विसौनीकलां	2821/03-02-2005	337/07-03-2015
7.	तवा विस्था. सह. समिति, महुआखेड़ा	2509/27-10-1995	712/29-03-2015
8.	प्रगति रेशम कामती, रंगपुर	2650/05-05-1998	337/07-03-2015
9.	एकता रेशम, मछेराकलां	2659/05-05-1998	337/07-03-2015
10.	वसुंधरा रेशम, तिदंवाड़ा	2651/05-05-1998	337/07-03-2015
11.	जागृति रेशम, गाडरवाडाखुर्द	2660/05-05-1998	337/07-03-2015
12.	श्रीकृष्ण साख, होशंगाबाद	2917/01-03-2007	337/07-03-2015
13.	बाबा साहब अम्बेडकर ईटभट्टा	447/07-01-1994	337/07-03-2015
14.	शिवा प्राथ. उपभोक्ता भंडार, इटारसी	2392/30-04-1992	337/07-03-2015
15.	तवा विस्था. सह. समिति, उड़दौन	2639/06-06-1997	337/07-03-2015
16.	जय महाकाली बड़ी पापड़, ढाबाकलां	2911/28-02-2008	337/07-03-2015
17.	शैलपुत्री महिला सह. समिति, लॉझी	3313/29-10-2016	337/07-03-2015
18.	विनायक महिला सह. समिति, पिपरिया	3325/29-10-2016	337/07-03-2015
19.	गुरू कृपा महिला सह. समिति, चौराहट	3328/29-10-2016	337/07-03-2015
20.	सुहाग यातायात सह. समिति, इटारसी	3277/29-10-2016	337/07-03-2015
21.	माँ दुर्गेश्वरी महिला साख समिति, पिपरिया हथवास	3282/29-10-2016	337/07-03-2015

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) का उपयोग में लाते हुए मैं, जी. पी. गेहलोत, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वह 2 माह के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

जी. पी. गेहलोत,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(870)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थायें, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित

समितियों को परिमसपान में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महात्मा गाँधी क्रय-विक्रय सह. समिति, सेमरी हरचंन्द्र	3025/02-03-2005	672/29-03-2014
2.	आदर्श क्रय-विक्रय सह. समिति, उटियाशंकर	2890/17-05-2006	673/29-03-2014
3.	जय बजरंग साख सहकारी समिति, सिवनी-मालवा	3307/29-10-2016	1063/10-09-2013
4.	रक्षा महिला साख सहकारी समिति, लोखरतलाई	3295/29-10-2016	1063/10-09-2013
5.	सुरुची महिला साख सहकारी समिति, बराखड खुर्द	3293/29-10-2016	1063/10-03-2013
6.	अन्नपूर्णा साख सहकारी समिति, भरलाय	3297/29-10-2016	1063/10-09-2013
7.	गंजाल महिला साख सहकारी समिति, डेंठी	3302/29-10-2016	1063/10-09-2013
8.	एकता महिला साख सहकारी समिति, वघवाड़ा	3298/29-10-2016	1063/10-09-2013
9.	सांईसाधराम साख सहकारी समिति, होशंगाबाद	3334/29-10-2016	1063/10-09-2013
10.	एम. ई. एस. कर्म. साख. सह. समिति, इटारसी	2379/03-04-1992	337/07-03-2015
11.	सहकारिता कर्म सह. समिति मर्या, होशंगाबाद	13/25-10-2002	337/07-03-2015
12.	तवा विस्था. मत्स्य सह. समिति, शोभापुर	2533/05-12-1995	337/07-03-2015
13.	तवा विस्था. मत्स्य सह. समिति, खामदा	2508/27-10-1995	337/07-03-2015
14.	तवा विस्था. मत्स्य सह. समिति, बडचापडा	2505/27-10-1995	337/07-03-2015
15.	तवा विस्था. मत्स्य सह. समिति, पीपलपुरा	2504/27-10-1995	337/07-03-2015
16.	तवा विस्था मत्स्य सह. समिति, मल्लूपुरा	2579/05-12-1995	337/07-03-2015
17.	तवा विस्था मत्स्य सह. समिति, सुपलई	2528/05-12-1995	337/07-03-2015
18.	तवा विस्था मत्स्य सह. समिति, चकपुरा	2535/05-12-1995	337/07-03-2015
19.	तवा विस्था मत्स्य सह. समिति, साकई	2536/05-12-1995	337/07-03-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 क्रमांक 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो (02) माह के अंदर मय-प्रमण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तिका में लेखाबद्ध समस्य दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

बी. के. शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(871)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थायें, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम के नियम 57 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नांकित समितियों को परिमसापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्ति किये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ढिकवाडा	2031/30-05-2009	क्र./परि./677/29-03-2014
2.	श्रीराम बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., रोहना	2856/09-06-2005	क्र./परि./699/29-03-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां के नियम, 1962 के नियम 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से दो माह के अन्तर्गत मय प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करे. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्ताकों में लेखा संबंधित समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

डी. एस. दुबे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(872)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी समितियां, वनखेड़ी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.	परिसमापक संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श बुनकर सहकारी समिति मर्या., पचमढ़ी	2677/18-01-1999	337/07-03-2015
2.	माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मरकाढाना	26/14-02-2003	337/07-03-2015
3.	श्री मातरम साख सहकारी समिति मर्या., बिचुआ	3042/25-08-2009	337/07-03-2015
4.	जय श्रीराम साख सहकारी समिति, मैंदाखेड़ा	3021/27-01-2009	337/07-03-2015
5.	माँ नर्मदा साख, नयागांव	3021/27-01-2009	337/07-03-2015
6.	विनायक साख सह., बाचावानी	2997/19-08-2008	337/07-03-2015
7.	जय बीजासेन साख सहकारी समिति, पडरईठाकुर	2940/01-06-2007	337/07-03-2015
8.	माँ भवानी साख, महगंवा	--	337/07-03-2015
9.	राधिका महिला बहुउद्देशीय सह. समिति, परसवाड़ा	90/21-03-2007	337/07-03-2015
10.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., पचुआ	2802/13-04-2004	337/07-03-2015
11.	मां वैष्णव क्रय-विक्रय सह. समिति, पिपरिया	3047/29-04-2010	337/07-03-2015
12.	जन वर्षा साख, पिपरिया	100/13-10-2008	337/07-03-2015
13.	सतपुड़ा साख सह. समिति मर्या., पिपरिया	102/24-02-2009	337/07-03-2015
14.	मां शारदा साख, पिपरिया	109/03-09-2010	337/07-03-2015
15.	नर्मदा साख सह. समिति, कलगवां	3005/05-09-2008	337/07-03-2015
16.	श्रीराम साख सह. समिति, खापरखेडा	2951/14-01-2008	337/07-03-2015
17.	नर्मदा शिक्षित बेरोजगार साख सह. समिति, पिपरिया	2905/25-01-2007	337/07-03-2015
18.	कृष्णा महिला साख, सांडिया	2891/03-06-2006	337/07-03-2015
19.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति, धनासरी	2452/08-01-2002	337/07-03-2015
20.	दुग्ध उत्पादक, गोविन्दनगर	3085/09-01-2013	337/07-03-2015
21.	दुग्ध उत्पादक, आमगांव	3070/10-04-2012	337/07-03-2015

उल्लेखित समितियों को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के आदेश क्र./परि./2015/377, दि. 07-03-2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापक में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की दिनांक से दो माह के अंदर

मय-प्रमाण-पत्र, यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकार गण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्य दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(873)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिमसपान में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परि. में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महालक्ष्मी साख सह. समिति, पुरैनाकलां	3025/28-02-2009	87/06-01-2016
2.	जय बजरंग साख सहकारी समिति, महुआखेड़ा	3039/16-07-2009	87/06-01-2016
3.	मेकलसुता साख सहकारी समिति, जुन्हेटा	3026/28-02-2009	87/06-01-2016
4.	जय संतोषी साख सहकारी समिति, पिपरिया	3315/29-10-2016	176/30-01-2015

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग में लाते हुए मैं एस. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 02 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वह 2 माह के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

(874)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 12 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परि. सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	अन्नपूर्णा रेशम उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरकुली	2647/03-11-1998	1538/15-09-2016
2.	माँ गौरी आदिवासी साख सहकारी समिति मर्या., हथवांस	2779/31-12-2002	1538/15-09-2016
3.	कृष्णा साख सहकारी समिति, सिवनीसर्रा	2979/22-07-2008	337/07-03-2015

1	2	3	4
4.	जय श्रीकृष्ण साख सहकारी समिति मर्या., पाली	3038/16-07-2009	337/07-03-2015
5.	नव दुर्गा साख सहकारी समिति मर्या., गोंदलवाड़ा	3015/13-10-2008	337/07-03-2015
6.	आदिशक्ति साख सहकारी समिति मर्या., पिपरिया मुहारीकलां	2982/29-07-2008	337/07-03-2015
7.	वैभव लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., तरौनकलां	3294/29-10-2016	337/07-03-2015

अतः मैं, एस. एस. पगारे, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण-पत्र यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था में उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2017 को मेरे हस्तारक्षर से जारी किया जाता है.

एस. एस. पगारे,
परिसमापक एवं सह. वि. अधिकारी.

(875)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2016/2114, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहाकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत श्रीराम पुरुषार्थी उप सहकारी भंडार, उज्जैन को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संथाएं, जिला उज्जैन में लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये, समझे जावेंगे तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. जोशी,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(877)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू/2016.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश अनुसार मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरोठिया	475/25-08-1980	582/25-02-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आसेर	506/23-09-1980	582/25-02-2016

1	2	3	4
3.	माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदामाण्डा	2042/02-08-2015	740/08-03-2016
4.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी	2124/04-08-2015	2026/24-08-2016
5.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गावड़ी	148/13-06-2011	1673/23-07-2016
6.	महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनन्तखेड़ी	2122/04-08-2015	2027/24-08-2016
7.	श्री भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितावलियाखेड़ा	2058/25-02-2015	2025/24-08-2016
8.	गगन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कपेली	2053/20-02-2015	862/21-03-2016

अतः मैं, संतोष सॉकलिया, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

संतोष सॉकलिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(878)

कार्यालय परिसमापक, शुभम शक्ति चलित बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

शुभम शक्ति चलित बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1497, दिनांक 04 फरवरी, 1999 है, को सहायक/उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/3073, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मैं, बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक, जिला उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दस्तावेजों का एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखत में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं, भतरपुरी, जिला उज्जैन में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(879)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नानाखेड़ी

नानाखेड़ी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानाखेड़ी, तहसील घट्टीया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2277, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 है,

को सहायक/उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/3074, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मैं, बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक, जिला उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दस्तावेजों का एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखत में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं, भतरपुरी, जिला उज्जैन में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(880)

कार्यालय परिसमापक, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांगला

बांगला, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2282, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 है, को सहायक/उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/3071, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मैं, बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक, जिला उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दस्तावेजों का एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखत में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं, भतरपुरी, जिला उज्जैन में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(881)

कार्यालय परिसमापक, गिरीराज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

गिरीराज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1753, दिनांक 21 सितम्बर, 2010 है, को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2016/3072, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मैं, बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक, जिला उज्जैन को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दस्तावेजों का एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखत में कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं, भतरपुरी, जिला उज्जैन में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सावकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की उपलब्ध लेखापुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(882)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 जनवरी, 2017

क्र./परि./2016/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घोसला	2217/11-09-2015	3562/08-12-2016
2.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोनसा	2183/20-08-2015	3562/08-12-2016
3.	रवि आंजना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुनाला	2190/21-08-2015	3562/08-12-2016
4.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कालूखेड़ी	2203/04-09-2015	3562/08-12-2016
5.	श्री महॉकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, किठोदाजागीर	2207/04-09-2015	3562/08-12-2016
6.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजरपुर	2224/11-09-2015	3562/08-12-2016
7.	महाकाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हॉसलपुर झिरन्या	2135/04-08-2015	3562/08-12-2016
8.	डॉ. भी. अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरली	2137/04-08-2015	3562/08-12-2016
9.	विवेकानन्द बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधली	2123/04-08-2015	3562/08-12-2016
10.	माँ तुलजा भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलोदापंथ	2192/21-08-2015	3562/08-12-2016

अत: मैं, बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

बी. एल. बागोरा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(890)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	विवेकानन्द प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, तराना	937/14-01-1991	2517/24-10-2016

अतः मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एस. एल. चौहान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(883)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2513, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ राजेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, उज्जैन	1743/16-04-2010	2513/24-10-2016

अतः मैं, विनायक राजूरकर, सहकारी निरीक्षक, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

विनायक राजूरकर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(884)

कार्यालय परिसमापक, भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू-1/2016.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	36/29-10-1963	1424/01-07-2016

अत: मैं, प्रदीप नहाटा, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

प्रदीप नहाटा,
परिसमापक.

(885)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2016/3561, उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अनन्तखेडी, तह. तराना	3561/08-12-2016	2092/15-06-2015
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चारनियाखेड़ी, तह. तराना	3561/08-12-2016	2104/08-07-2015
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भैरूगढ़, तह. तराना	3561/08-12-2016	2095/18-06-2015
4.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जलोदिया जागीर, तह. खाचरौद	3561/08-12-2016	2281/17-11-2015
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, असावता, तह. बड़नगर	3561/08-12-2016	2143/18-08-2015
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पलवा, तह. बड़नगर	3561/08-12-2016	2141/18-08-2015
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बास, तह. बड़नगर	3561/08-12-2016	2116/25-07-2015
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मतानाकला, उज्जैन	3561/08-12-2016	2154/20-08-2015
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लखमनखेड़ी, तराना	3561/08-12-2016	2156/20-08-2015
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, किलोनी, तह. बड़नगर	3561/08-12-2016	2144/18-08-2015

अत: मैं, स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करती हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त-सहकारिता, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

स्वर्णलता दलाल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(887)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ चामुण्डा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, रूपाहेडा	2218/11-09-2015	3562/08-12-2016
2.	श्री बलराम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, जहांगीरपुर	2219/11-09-2015	3562/08-12-2016

अत: मैं, दिनेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस/उक्त समिति/समितियों की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(886)

उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत परिवर्तित आदेश क्रमांक/परि./16/2519, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करडवास	1898/31-10-2014	741/08-03-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिकन्दरी	1899/13-11-2014	741/08-03-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नाखेडी	1902/13-11-2014	741/08-03-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिंतामण जवासिया	1903/13-11-2014	741/08-03-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बमनापाती	1907/14-11-2014	741/08-03-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलाफोर्ट	1909/04-12-2014	741/08-03-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदामाण्डा	1911/04-12-2014	741/08-03-2016

अत: मैं, दिनेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध

समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस/उक्त समिति/समितियों की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

दिनेश गुप्ता,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(888)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्था मर्यादित, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./737, दिनांक 08 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खाचरोद	1912/04-12-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झंझाखेडी	1914/04-12-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुंजाखेडी	1915/04-12-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गावडीलोंधा	1918/04-12-2014
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नारायण खेडी	1921/04-12-2014
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सूरजखेडी	1923/04-12-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सुरेन्द्र मालवीय,
परिसमापक.

(889)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खलना	2149/18-08-2015	3561/08-12-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बीजपड़ी	2152/20-08-2015	3561/08-12-2016

1	2	3	4
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितावलियाखेड़ा	2145/18-08-2015	3561/08-12-2016
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरन्डवा	2146/18-08-2015	3561/08-12-2016
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूई	2147/18-08-2015	3561/08-12-2016
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरड़िया	2120/29-07-2015	3561/08-12-2016
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माधोपुरा	2121/29-07-2015	3561/08-12-2016
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भाटपचलाना	2117/25-07-2015	3561/08-12-2016
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निनोरा	2114/25-07-2015	3561/08-12-2016
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कनवास	2119/29-07-2015	3561/08-12-2016

अतः मैं, एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

महेन्द्र कुमार गुप्ता,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(891)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 03 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	देवनारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोडंग	2196/21-08-2015	3562/08-12-2016
2.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामरिया	2220/11-09-2015	3562/08-12-2016
3.	श्री गोकुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छड़ोदा	2221/11-09-2015	3562/08-12-2016
4.	श्री महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ावदा	2222/22-09-2015	3562/08-12-2016
5.	धरती धन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विराखेड़ी	2168/20-08-2015	3562/08-12-2016
6.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरारखेड़ी	2169/21-08-2015	3562/08-12-2016
7.	महाकालिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इंगोरिया	2176/20-08-2015	3562/08-12-2016
8.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिरगोंदा रणधीर	2198/21-08-2015	3562/08-12-2016
9.	धनलक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इंगोरिया	2200/21-08-2015	3562/08-12-2016
10.	लोकप्रिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसलाखुर्द	2211/04-09-2015	3562/08-12-2016

1	2	3	4
11.	महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलसोड़ा	2212/04-09-2015	3562/08-12-2016
12.	विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलवा	2213/04-09-2015	3562/08-12-2016
13.	सांतरिय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भाटपचलाना	2214/04-09-2015	3562/08-12-2016
14.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़गॉवा	2215/04-09-2015	3562/08-12-2016
15.	कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अमला	2216/11-09-2015	3562/08-12-2016
16.	श्री देवनारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गिन्दवालिया	2223/11-09-2015	3562/08-12-2016

अतः मैं, आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 03 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. बी. कनकने,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(892)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नजरपुरा	24/10-01-2002	1037/26-11-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बाजनिया	195/16-10-2012	1037/26-11-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भाटपरेटिया	199/25-03-2013	1037/26-11-2014
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नांदवा	2301/13-10-1987	1037/26-11-2014
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धौलपुरकलॉ	2300/11-10-1987	1037/26-11-2014
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रहटगांव	2237/10-10-1987	1037/26-11-2014
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोदागांव	2362/30-09-1991	1037/26-11-2014
8.	माँ आदिशक्ति प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., हरदा	127/13-03-2006	1037/26-11-2014
9.	महात्मा गांधी बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., हरदा	57/28-04-2004	1037/26-11-2014
10.	आदर्श कृषि एवं वानिकी विकास सह. सं. मर्या., हरदा	87/06-07-2005	1037/26-11-2014
11.	नर्मदा कृषि एवं वानिकी विकास सह. स. मर्या., हरदा खुर्द	91/22-10-2005	1037/26-11-2014
12.	अन्नपूर्णा वेयर हाउस (भंडारण) सह. सं. मर्या., निमाचाकलॉ	36/04-02-2003	1037/26-11-2014
13.	मेकलसुता प्रा. उप. सह. भंडार मर्या., डगांवानीमा	61/08-07-2004	1037/26-11-2014

1	2	3	4
14.	आदर्श प्रा. उप. सह. भंडार मर्या., टिमरनी	44/27-09-2003	1037/26-11-2014
15.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उन्द्राकच्छ	27/15-11-2002	1037/26-11-2014
16.	जय हनुमान मजदूर कामगार सह. सं. मर्या., हरदा	04/23-03-2002	1037/26-11-2014
17.	जय श्री बलराम साख सह. सं. मर्या., जिनवान्या	01/27-11-2001	1037/26-11-2014
18.	शुभम प्रा. उप. सह. भंडार मर्या., हरदा	65/14-07-2004	1037/26-11-2014
19.	शिक्षित बेरोजगार साख सह. सं. मर्या., पोखरनी	07/27-03-2002	1037/26-11-2014
20.	पं. दीनदयाल उपाध्याय उद्वहन सिंचाई सह. समिति मर्या., कचबैडी	175/07-05-2011	1030/31-12-2015
21.	वीर दुर्गादास उपभोक्ता सह. भंडार मर्या., हरदा	36/24-12-2002	1030/31-12-2015
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बावडिया	72/16-12-2002	1030/31-12-2015
23.	आदर्श मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, नौसर	93/23-07-2003	963/04-11-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. पारे,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(893)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, सिरकम्बा, तहसील-रहटगॉव, जिला-हरदा.	70/01-10-2002	1033/26-11-2014
2.	आदर्श ग्रामीण महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, तजपुरा, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	136/26-05-2006	1033/26-11-2014
3.	अन्नपूर्णा बहु. सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	48/13-01-2004	1033/26-11-2014
4.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिरकम्बा, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	159/03-10-2008	1033/26-11-2014
5.	माँ वैष्णव उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	66/15-07-2004	1033/26-11-2014
6.	श्री नारायण उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	67/21-07-2004	1033/26-11-2014
7.	सर्व शक्ति उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	68/22-07-2004	1033/26-11-2014

1	2	3	4
8.	सत्यम उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	69/24-07-2004	1033/26-11-2014
9.	बाबा रामदेव उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	70/26-07-2004	1033/26-11-2014
10.	माँ नर्मदा उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, मांगरूल, तहसील-हण्डिया, जिला-हरदा.	71/26-07-2004	1033/26-11-2014
11.	दुर्गा उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिरकिया, तहसील-खिरकिया, जिला-हरदा.	72/27-07-2004	1033/26-11-2014
12.	माँ नर्मदा उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	73/28-07-2004	1033/26-11-2014
13.	माँ आदिशक्ति उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	74/29-07-2004	1033/26-11-2014
14.	एकता उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिरकिया, तहसील-खिरकिया, जिला-हरदा.	75/06-09-2004	1033/26-11-2014
15.	कला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिड़कीवाला, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	77/27-09-2004	1033/26-11-2014
16.	जगदम्बा उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	78/30-09-2004	1033/26-11-2014
17.	ताज यातायात सहकारिता मर्यादित, खिरकिया, तहसील-खिरकिया, जिला-हरदा.	40/26-03-2002	1033/26-11-2014
18.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रूदलाय, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	97/07-01-2004	1030/31-12-2015
19.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या मकड़ाई, जिला-हरदा.	99/09-02-2004	1030/31-12-2015

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. दीवान,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(894)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जिजगांवखुर्द	72/16-12-2002	1035/26-11-14

1	2	3	4
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बालागांव	73/16-12-2002	1035/26-11-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, महेन्द्रगांव	145/07-01-2008	1035/26-11-2014
4.	चन्द्रदर्शिनी महिला बहु. सह. समिति मर्या., अत्तरसमा	35/30-03-2002	1035/26-11-2014
5.	आदर्श उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, रातातलाई	79/07-10-2004	1035/26-11-2014
6.	हरिओम उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिरकिया	82/16-03-2005	1035/26-11-2014
7.	सूरज उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, आदमपुर	83/16-03-2005	1035/26-11-2014
8.	माँ भवानी उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिरकिया	84/23-03-2005	1035/26-11-2014
9.	श्री शंकर उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिरकिया	86/03-06-2005	1035/26-11-2014
10.	संगीता उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, खिरकिया	88/06-07-2005	1035/26-11-2014
11.	नीलकमल उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, टिमरनी	89/20-07-2005	1035/26-11-2014
12.	शनि उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, टिमरनी	90/29-07-2005	1035/26-11-2014
13.	आदर्श उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, आमासेल	45/11-12-2003	1035/26-11-2014
14.	कविता उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा	46/11-12-2006	1035/26-11-2014
15.	शिवशक्ति उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, रैसलपुर	47/05-01-2004	1035/26-11-2014
16.	आदर्श उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, ऐडाबेडा	60/16-06-2004	1035/26-11-2014
17.	किसान बीज उत्पादक सहकारिता मर्यादित, मसनगांव	102/06-11-2003	1030/31-12-2015
18.	मेकलसुता उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, रिजगांव	30/07-12-2004	1030/31-12-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. बर्थे,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(895)

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	चन्दन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोरी, तहसील-रहटगॉव, जिला-हरदा.	169/08-10-2010	1036/26-11-2014
2.	काजल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढेगा, तहसील-रहटगॉव, जिला-हरदा.	171/18-10-2010	1036/26-11-2014
3.	मेकलसुता महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, नजरपुरा, तहसील-रहटगॉव, जिला-हरदा.	46/28-03-2002	1036/26-11-2014

1	2	3	4
4.	गजानंद साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	01/09-09-2009	1036/26-11-2014
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सन्यासा, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	75/16-12-2002	1036/26-11-2014
6.	माँ रेवा उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, अवगॉवकला, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	49/19-01-2004	1036/26-11-2014
7.	दिव्या उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	50/21-01-2004	1036/26-11-2014
8.	आदर्श उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	51/09-02-2004	1036/26-11-2014
9.	आदर्श उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	52/10-02-2004	1036/26-11-2014
10.	शिवा उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, टिमरनी, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	53/11-02-2004	1036/26-11-2014
11.	पुष्पांजलि प्राथमिक उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, टिमरनी, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	54/24-03-2004	1036/26-11-2014
12.	संजीवनी उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, टिमरनी, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	55/25-03-2004	1036/26-11-2014
13.	श्री राधास्वामी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, टिमरनी, तहसील-टिमरनी, जिला-हरदा.	56/25-03-2004	1036/26-11-2014
14.	श्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, धनगांव, जिला-हरदा.	59/16-06-2004	1036/26-11-2014
15.	सांईनाथ उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	62/12-07-2004	1036/26-11-2014
16.	गजानंद उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	63/12-07-2004	1036/26-11-2014
17.	मिलन उपभोक्ता सहकारिता मर्यादित, हरदा, तहसील-हरदा, जिला-हरदा.	64/12-07-2004	1036/26-11-2014
18.	सिद्धार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगिया, जिला-हरदा	163/09-12-2009	1030/31-12-2015
19.	बसुन्धरा बीज क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., काकरिया, जिला-हरदा.	173/29-04-2011	1030/31-12-2015
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मान्याखेड़ी, तहसील टिमरनी, जिला हरदा.	184/01-03-2012	963/04-11-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

यू. एस. राठौर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(896)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जबलपुर

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/4448, दिनांक 01 दिसम्बर, 1999 के द्वारा स्टार पावरलूम बुनकर उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पं. क्र. 617 को परिसमापन में लाया गया था संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सह. निरी. द्वारा संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 22 जुलाई, 216 में संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ 5-2/2010/15-1 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत स्टार पावरलूम बुनकर उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर को परिसमापन से मुक्त करता हूं.

संस्था के सामान्य कामकाज को निपटाने एवं विधिवत निर्वाचन कराए जाने के पूर्व तक कार्य करने के लिए निम्नलिखित कमेटी बनाई जाती है.-

1.	श्री निजामुद्दीन	अध्यक्ष	2.	श्री कौशर जहां	उपाध्यक्ष
3.	श्री अबरार हुसैन	उपाध्यक्ष	4.	श्री मोहम्मद साजिद	संचालक
5.	श्री सिराजुद्दीन	संचालक	6.	श्री अयाज अहमद	संचालक
7.	श्री खुर्शीद अहमद	संचालक	8.	श्री गयासुद्दीन	संचालक
9.	श्री सरफराज अहमद	संचालक	10.	श्री सरफराज अहमद	संचालक
11.	श्री शबनम अफरोज	संचालक			

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा के सहित जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(897)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/1241, विदिशा दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 से सिद्धेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, अंडियाकलां तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./614/30 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सिद्धेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, अंडियाकलां तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्धेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, अंडियाकलां तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी. आर./व्ही. डी. एस./614/30 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(898)

विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा जिला विदिशा के प्रशांसक श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा के पत्र अनुसार संस्था के अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा शेष सदस्य संस्था का निर्वाचन नहीं कराना चाहते हैं.

संस्था के प्रशासक के पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा महाविद्यालयीन कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस/221, दिनांक 30 मार्च, 1974 को यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी करता हूँ.

(899)

विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्रीराम श्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, विदिशा की वर्ष 2014-15 की अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है एवं संस्था के प्रशासक श्री अनिल सक्सैना, उप अंकेक्षक द्वारा भी संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है.

संस्था की अंकेक्षण टीपों से एवं प्रशासक की अनुशंसा से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पंजीयन दिनांक से ही असफल रही है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा श्रीराम श्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस/770, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी करता हूँ.

(900)

विदिशा, दिनांक 03 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

आदर्श गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था अकार्यशील है एवं संस्था के प्रशासक श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा द्वारा भी अपने पत्र में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है.

संस्था की अंकेक्षण टीपों से एवं प्रशासक की अनुशंसा से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पंजीयन दिनांक से ही असफल रही है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69- 2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं,

जिला विदिशा आदर्श गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./233, दिनांक 12 फरवरी, 1980 को यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी करता हूँ.

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(901)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर कर्म. गृह. नि. सह. स., विदिशा	232/21-12-1979	1155/03-01-2009
2.	गृह प्रबंधकारिणी सह. संस्था मर्या., विदिशा	173/14-07-1955	66/05-01-1966
3.	हरि. काम. एवं कारी. की सह. संस्था मर्या., कागपुर	139/27-06-1969	1129/28-10-2009
4.	वीर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	06/02-07-1961	1141/30-10-2009
5.	प्रा. यातायात सह. संस्था मर्या., विदिशा	732/07-08-1991	065/09-01-1998
6.	एकता गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	271/30-01-1986	296/03-03-1998
7.	आधुनिक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	127/29-04-1959	177/17-02-2016
8.	राजस्व गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	343/29-12-1988	579/30-04-2016
9.	आरती गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	558/11-06-1998	580/30-04-2016
10.	बिन्देश्वरी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	548/12-08-1996	581/30-04-2016
11.	पुलिस गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., विदिशा	310/28-07-1987	639/11-05-2016
12.	कामगार उद्योग सह. संस्था मर्या., जम्बार	230/05-01-1979	538/08-05-2006
13.	किसान बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., गंगरवाडा	716/03-07-2014	395/17-04-2014
14.	शिव मछुआ मारन पालन सह. संस्था मर्या., पठारी हवेली	724/15-03-2007	1134/13-11-2015
15.	मांझी मछुआ कल्याण मत्स्य विकास सह. संस्था मर्या., विदिशा	346/06-04-1989	1135/13-11-2015
16.	सत्यमेव बहु. साख सहकारिता मर्या., विदिशा	016/10-06-2002	1217/03-12-2015
17.	रोगी कल्याण एवं उत्थान बहु. साख सहकारिता मर्या., विदिशा	019/25-06-2002	1218/03-12-2015
18.	प्रियंका सिलाई-कढ़ाई एवं महिला उत्थान सह. संस्था मर्या., विदिशा	619/02-01-1997	1242/07-12-2015
19.	विदिशा तेल प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., विदिशा	587/22-10-1999	582/30-04-2016
20.	रेनू सिलाई-कढ़ाई, बुनाई सह. संस्था मर्या., विदिशा	585/06-02-1999	583/30-04-2016
21.	जयन्ती स्टेशनरी प्रिंटिंग औद्योगिक सह. संस्था मर्या., विदिशा	672/29-06-1998	586/30-04-2016
22.	विदिशा सह. दुग्धालय समित मर्या., विदिशा	16/14-12-1959	587/30-04-2016
23.	कृष्णा महिला सिलाई, बुनाई सह. संस्था, विदिशा	672/02-01-2004	599/30-04-2016
24.	सिद्ध बाबा हरि. मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., जम्बार	421/13-02-1992	600/30-04-2016

1	2	3	4
25.	मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., काबूला	588/15-11-1999	601/30-04-2016
26.	मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., टिगरी टोरा	795/11-07-2012	602/30-04-2016
27.	मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., सिलपरी	590/02-03-2000	603/30-04-2016
28.	साँची ईंधन आपूर्ति सह. संस्था मर्या., विदिशा	701/13-12-2004	613/04-05-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे. आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एफ. एस. राय,

(902) सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ककरावदा	DR/VDS/804/09-11-2012	801/13-08-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देरखी	DR/VDS/813/10-12-2012	796/13-08-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोदाकला	DR/VDS/815/11-12-2012	798/13-08-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोंठिया	DR/VDS/816/12-12-2012	799/13-08-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरवाया	DR/VDS/820/28-12-2012	797/13-08-2015
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मूड़रा	DR/VDS/837/21-02-2012	793/13-08-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकायला	DR/VDS/840/22-02-2013	792/13-08-2015
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरोदा	DR/VDS/843/26-02-2013	791/13-08-2015
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनखेड़ी	DR/VDS/852/04-03-2013	794/13-08-2015
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सतपाड़ाकला	DR/VDS/855/08-03-2013	770/07-08-2015
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरनोदा	DR/VDS/878/01-07-2013	795/13-08-2015
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई	DR/VDS/802/17-10-2012	689/23-05-2016
13.	रघुवंशी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., आगासोद	DR/VDS/57/23-06-2008	405/07-05-2015
14.	लक्ष्मी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मूड़रामेवली	DR/VDS/680/20-04-2004	493/02-04-2016
15.	एकता महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कूल्हा	DR/VDS/698/05-10-2004	588/30-04-2016
16.	कामगार सहकारी संस्था मर्या., लमन्या	DR/VDS/647/18-11-2002	589/30-04-2016
17.	कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., नहारिया	DR/VDS/650/18-11-2002	590/30-04-2016
18.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., वेदनखेड़ी	DR/VDS/541/23-03-1996	--
19.	शिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., वासौदा	DR/VDS/91/19-01-1962	584/30-04-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय जनपद पंचायत, गंज बासौदा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे

से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया.

(903)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	बासौदा गृह निर्माण सहकारी संस्था, बासौदा	084/05-02-1962	1202/25-08-2012
2.	लोकमान गृह निर्माण सहकारी संस्था, वासौदा	262/31-01-1985	1202/25-08-2012
3.	गृह निर्माण उत्पादक सहकारी संस्था, सूजा	014/22-03-1963	1202/25-08-2012
4.	शांतीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, वासौदा	267/23-11-1985	640/11-05-2016
5.	प्रा. यातायात सहकारी संस्था, वासौदा	367/30-03-1991	1380/24-09-2012
6.	मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था, धरेरा	204/26-11-1971	1242A/07-12-2015
7.	रैकवार मत्स्य सहकारी संस्था, वरेठ	739/16-01-2009	1238/07-12-2015
8.	निषादराज मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था, सत्ताखेडी जाजौन	557/20-05-1998	960/23-09-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय जनपद पंचायत, गंज बासौदा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 01 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(904)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	सामूहिक कृषि साख सहकारी संस्था, रूहर	166/09-09-2010	1380/24-09-2012
2.	हरिजन कृषि साख सहकारी संस्था, चक्क जामनपुर	169/09-09-1970	1380/24-09-2012
3.	संयुक्त कृषि साख सहकारी समिति, अम्बानगर	248/08-09-1962	1380/24-09-2012
4.	संयुक्त कृषि साख सहकारी समिति, पचमा	11/06-11-1962	1380/24-09-2012
5.	संयुक्त कृषि साख सहकारी समिति, कुरावद	121/26-11-1962	1380/24-09-2012
6.	सामूहिक कृषि साख सहकारी संस्था, सकरोली	--	1380/24-09-2012
7.	सामूहिक कृषि साख सहकारी संस्था, रघुनाथपुर	10/13-09-1962	1380/24-09-2012
8.	संयुक्त कृषि साख सहकारी संस्था, खेरूआ	113/29-11-1963	1380/24-09-2012
9.	हरिजन सामूहिक कृषि साख सहकारी संस्था, मांगरोद	164/19-09-1970	1380/24-09-2012
10.	शंकर सामूहिक कृषि साख संस्था, सहिवा सराय	141/11-09-1969	1380/24-09-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो,

तो मुझे कार्यालय जनपद पंचायत, गंज बासौदा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे. आज दिनांक 01 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. एस. रघुवंशी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(905)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी

लटेरी, दिनांक 12 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	गृह लक्ष्मी स्वायत्त सहकारिता लटेरी मर्यादित, लटेरी	20/06-07-2002	396/17-04-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छोटी रूसल्ली	745/25-07-2009	673/20-05-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नैनवासकलॉ	773/31-12-2010	674/20-05-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, थाना वीरान	640/10-10-2002	686/23-05-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धूमगिर	655/10-12-2002	688/23-05-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौपड़ा	635/10-10-2002	687/23-05-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अरविंद रघुवंशी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(906)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी नटेरन, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदि. सामू. कृषि सह. सं. मर्या., साठेर नटेरन	190/08-06-1971	1768/29-07-1980
2.	प्राथमिक महिला बहु. सह. संस्था, रायखेड़ी	682/12-05-2004	1155/28-10-2009
3.	कामगार व कारी. की सह. संस्था मर्या., सिलवाय खजूरी	246/10-12-1982	447/07-04-2006
4.	ऊँ सांई बीज उत्पा. स्वायत्त सहकारिता मर्या., कस्वाखेड़ी हिनोतिया (नटेरन).	62/13-01-2010	393/17-04-2014
5.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था मर्या., नागौर	407/31-10-1991	599/21-05-1998

1	2	3	4
6.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था मर्या., पमारिया	424/31-03-1992	601/21-05-1998
7.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर	732/31-07-2007	591/30-04-2016
8.	श्री कृष्णा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., शमशाबाद	777/07-03-2011	598/30-04-2016
9.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., रतवाजागीर	786/25-02-2012	634/11-05-2016
10.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., थाना	788/25-02-2012	635/11-05-2016
11.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर	797/10-09-2012	636/11-05-2016
12.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., शीलखेड़ा (हरीपुर)	785/25-02-2012	637/11-05-2016
13.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., रमपुरा जागीर	784/25-02-2012	638/11-05-2016
14.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बीलखेड़ी	967/20-10-2014	647/12-05-2016
15.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., शालाखेड़ी	956/14-10-2014	648/12-05-2016
16.	आदर्श महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद	583/12-01-1999	768/24-06-2016
17.	मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित बरखेडा जागीर	778/21-03-2011	769/24-06-2016
18.	जय श्री प्राथ. उपभोक्ता भंडार मर्या., शमशाबाद	750/26-10-2009	770/24-06-2016
19.	प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., शमशाबाद.	984/14-01-2015	743/09-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एस. भदौरिया,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(907)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 03 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जगदीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानोरा	738/04-10-2008	771/24-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा (उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा) में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी करता हूँ.

आर. के. सोनी,
सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(908)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगाखेड़ी	888/28-09-2013	744/09-06-2016
2.	प्राथ. किसान गायत्री बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बासौदा.	753/26-11-2009	745/09-06-2016
3.	परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया जाजौन.	986/14-01-2015	746/09-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. दांगी,

(909) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री किसान एग्रो औधोगिक सह. संस्था मर्या., विदिशा	664/08-08-2003	621/05-05-2016
2.	संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा	238/29-09-1981	622/05-05-2016
3.	विद्या विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा	019/05-11-1965	623/05-05-2016
4.	विजयाराजे महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा	504/17-08-1994	624/05-05-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. राज,

(910) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सिरोंज

विदिशा, दिनांक 16 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	मांझी महिला मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., सिरोंज	749/21-10-2009	595/30-04-2016
2.	श्री सुभाष चंद बोस हरि. मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., चोड़ाखेड़ी	526/16-03-1995	596/30-04-2016
3.	आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज	503/19-07-1994	597/30-04-2016
4.	अप्सरा महिला रेशम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज	661/12-12-1997	614/04-05-2016
5.	महिला दुग्ध उत्पा सह. संस्था मर्या., परसौरा	798/10-09-2012	675/20-05-2016
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पामाखेड़ी	766/18-11-2010	676/20-05-2016
7.	महिला दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., तरवरिया	799/11-09-2012	677/20-05-2016
8.	हरिजन महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज	311/07-10-1987	1506/25-06-1992
9.	ग्रामीण हरि. बेरोजगार मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., पगरानी	258/20-07-1964	1516/25-06-1992
10.	हनीफिया बहु. सह. संस्था मर्या., हनीफिया सिरोंज	1432/08-07-1955	4634/13-9-1979
11.	महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज	298/30-01-1987	140/15-01-1993
12.	विश्वकर्मा शिल्पकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., छिपेटी	033/23-04-1960	214/15-01-1971

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

योगेन्द्र सोनी,

(911) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, पैरवारा	188/25-03-1971	747/09-06-2016
2.	हाईटेक बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, गंगरवाड़ा	977/06-01-2015	748/09-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा

में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 02 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. जैन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(912)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., देवखजूरी, तह. विदिशा	578/07-12-1998	729/08-06-2016
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., भटखेड़ी, तह. विदिशा	570/05-12-1998	730/08-06-2016
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., पालकी, तह. विदिशा	244/04-11-1982	731/08-06-2016
4.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., सुल्तनिया, तह. विदिशा	480/11-01-1998	732/08-06-2016
5.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., ब्योची, तह. विदिशा	566/05-12-1998	733/08-06-2016
6.	सम्राट अशोक श्रम ठेका सह. संस्था मर्या., विदिशा	508/21-10-1994	734/08-06-2016
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., पहो, तह. विदिशा	904/24-02-2014	735/08-06-2016
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था. मर्या., बराखेड़ा, तह. विदिशा	936/19-08-2014	736/08-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. पी. पाटिल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(913)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	टेलीफोन विभागीय कर्म. सह. संस्था मर्या., विदिशा	269/06-12-1985	899/10-09-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा

में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 02 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

पी. के. मोहता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(914)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा

विदिशा, दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीरामपुर सामू. कृषि. सह. स. मर्या., सिरोंज	145/20-01-1970	668/23-02-1978
2.	अहिरवार सामू. कृषि. सह. सं. मर्या., सेमलखेड़ी	022/20-04-1970	1044/29-04-1980
3.	संयुक्त कृषि सामू. कृषि. सह. सं. कॉजीखेड़ी, सिरोंज	129/22-12-1966	3213/26-11-1982
4.	संयुक्त कृषि सह. सामू. कृषि. सह. सं. अनूपपुर, सिरोंज	120/09-04-1964	1520/25-06-1992
5.	नवीन प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या., सिरोंज	355/31-12-1990	316/07-02-1994
6.	जनता प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या., सिरोंज	354/31-12-1990	309/07-02-1994
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनूपपुर, तह. सिरोंज	575/05-12-1998	722/30-05-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवपुर, तह. सिरोंज	568/05-12-1998	723/30-05-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुरंग, तह. सिरोंज	638/10-10-2002	724/30-05-2016
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाबुलखेड़ी, तह. सिरोंज	684/12-05-2004	725/30-05-2016
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर, तह. सिरोंज	673/07-01-2004	726/30-05-2016
12.	कामगार खनिज सहकारी संस्था मर्यादित, चोड़ाखेड़ी, तह. सिरोंज	555/26-12-1997	727/30-05-2016
13.	माँ शक्ति महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, रतनबर्री	658/21-04-2003	766/24-06-2016
14.	बरदान महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, प्याराखेड़ी	723/11-12-2006	767/24-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अनिल कुमार सक्सैना,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(915)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 17 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में

लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	राइन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा	718/21-07-2006	761/24-06-2016
2.	मोहिनी महिला बहु. सह. सं. मर्यादित, नामाखेडी	690/30-06-2004	762/24-06-2016
3.	माँ दुर्गे महिला बहु. सह. सं. मर्या., पीपलखेडाकलां	688/21-06-2004	763/24-06-2016
4.	माधव फल, सब्जी उत्पा. क्रय-विक्रय सह. सं. मर्या., विदिशा	594/12-09-2001	764/24-06-2016
5.	सारथी बीज उत्पा. सह. सं. मर्यादित, लश्करपुर	985/14-01-2015	765/24-06-2016
6.	व्हाइटल कर्मचारी साख सह. सं. मर्या., विदिशा	507/05-10-1994	957/23-09-2016
7.	श्री जैन समाज बहु. सह. सं. मर्या., विदिशा	4308/17-04-1940	958/23-09-2016
8.	अजाक्स बचत एवं साख सह. सं. मर्या., विदिशा	628/16-07-2002	959/23-09-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा (उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा) में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

वैभव सक्सैना,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(916)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./17/क्यू.-निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70(1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ हरसिद्धि महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., कुल्हार	692/23-07-2004	775/24-06-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, मडदेवरा	845/28-02-2013	777/25-06-2016
3.	जिला सह. भूमि विकास बैंक कर्म. साख सह. सं., विदिशा	325/07-05-1988	774/24-06-2016
4.	परशराम गृ. नि. सह. संस्था मर्या., विदिशा	307/22-05-1987	776/24-06-2016
5.	लक्ष्मी महिला बहु. सह. सं. मर्या., मुडरा मेवली	680/28-04-2004	773/24-06-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा (उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा) में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. शर्मा,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(917)

कार्यालय परिसमापक लक्ष्मी महिला प्राथमिक उप. भंडार सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू 1.-लक्ष्मी महिला प्राथमिक उप-भंडार सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1669, दिनांक 1998 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 138, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भगवती मोर,
परिसमापक.

(918)

कार्यालय परिसमापक स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण, सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू 1.-स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण, सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1207, दिनांक 03 अप्रैल, 1980 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 679, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(919)

कार्यालय परिसमापक प्रगति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू 1.-प्रगति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1483, दिनांक 30 जून, 1993 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 679, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(943).

कार्यालय परिसमापक अलंकार महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू 1.-अलंकार महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 21 फरवरी, 1995 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 679, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(944)

कार्यालय परिसमापक निमाड़ तेल प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू 1.-निमाड़ तेल प्रक्रिया एवं विपणन, सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1589, दिनांक 07 अगस्त, 1995 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 679, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. सीतलानी,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(946)

कार्यालय परिसमापक सहकारिता विभाग साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. क्यू 1.-सहकारिता विभाग साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 05 जुलाई, 1966 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 453, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(920)

कार्यालय परिसमापक इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खण्डवा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2016/क्यू .-इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1375, दिनांक 25 अप्रैल, 1986 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./2010/756, दिनांक 26 जून, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(921)

कार्यालय परिसमापक जनचेतना यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2016/क्यू .-जनचेतना यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 23 जनवरी, 1995 को उप-रजिस्ट्रार/सहा. रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्र. 3223, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(922)

कार्यालय परिसमापक प्राथ. तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीवाल

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2016/क्यू .-प्राथ. तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीवाल, तहसील पन्धाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 29 मार्च, 1994 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 673, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीपक झंवर,
परिसमापक.

(923)

कार्यालय परिसमापक मोटर मजदूर यातायात, सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

मोटर मजदूर यातायात सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 853, दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 136, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(924)

कार्यालय परिसमापक सुयश ग्रामीण भंडारण सहकारी संस्था मर्या., खालवा

दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

सुयश ग्रामीण भंडारण सहकारी संस्था मर्या., खालवा, तहसील खालवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1865, दिनांक 19 अगस्त, 2002 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 136, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(925)

कार्यालय परिसमापक आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बरूड़

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बरुड़, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 22 जनवरी, 1964 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 136, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(926)

कार्यालय परिसमापक प्रेरिका प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., खण्डवा

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

प्रेरिका प्राथ. उप. सहकारी भंडार मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2148, दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 136, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(927)

कार्यालय परिसमापक कृषिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

कृषिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1430, दिनांक 12 जनवरी, 1990 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 136, दिनांक 30 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. पाटीदार,
परिसमापक.

(958)

कार्यालय परिसमापक एकता आदिवासी विस्था. सहकारी समिति मर्या., माल्यापुर पामाखेड़ी

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.क्यू01-एकता आदिवासी विस्था. सहकारी संस्था मर्या., माल्यापुर पामाखेड़ी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2109, दिनांक 02 सितम्बर, 2009 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/446, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(928)

कार्यालय परिसमापक जय जयन्ती माता आदिवासी विस्था. सहकारी समिति मर्या., पामाखेड़ी

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.क्यू01-जय जयन्ती माता आदिवासी विस्था. सहकारी संस्था मर्या., पामाखेड़ी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2110, दिनांक 02 सितम्बर, 2005 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 447, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(929)

कार्यालय परिसमापक जय श्री किसान क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्या., छनेरा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.क्यू01-जय श्री किसान क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्या., छनेरा, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1885, दिनांक.....है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3351, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(930)

कार्यालय परिसमापक कृषक उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., छनेरा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.क्यू01-कृषक उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., छनेरा, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1935, दिनांक 31 मार्च, 2005 है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 459, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राधामोहन विश्नोई,
परिसमापक.

(931)

कार्यालय परिसमापक मित्र मिलन कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सिंगोट

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू 01.-मित्र मिलन कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सिंगोट, तहसील पन्धाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 07 मार्च, 1967 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3345, खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(932)

कार्यालय परिसमापक, सत्य विजय संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., बोरगांव बुजुर्ग

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू 01.-सत्य विजय संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., बोरगांव बुजुर्ग, तहसील पन्धाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 779, दिनांक 19 नवम्बर, 1982 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3345, खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(933)

कार्यालय परिसमापक, जमना महिला कुटकुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, धरमपुरी

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू 01.-जमना महिला कुटकुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, धरमपुरी, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1836, दिनांक 11 सितम्बर, 2001 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3365, खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(934)

कार्यालय परिसमापक, क्लॉथ डाईंग एवं प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, खिराला

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू 01.-क्लॉथ डाईंग एवं प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, खिराला, तहसील पन्धाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2683, दिनांक 12 अगस्त, 1966 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3345, खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(935)

कार्यालय परिसमापक, आदिवासी कुटकुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, घाटाखेड़ी

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू 01.-आदिवासी कुटकुट पालन सहकारी समिति मर्यादित, घाटाखेड़ी, तहसील पन्धाना, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 17 मार्च, 1981 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3345, खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(936)

कार्यालय परिसमापक, प्रजापति आदर्श कुम्भकार सहकारी संस्था मर्यादित, खालवा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू 01.-प्रजापति आदर्श कुम्भकार सहकारी संस्था मर्यादित, खालवा, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 25 मार्च, 1968 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 1185, खण्डवा, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एल. मंगवानी,
परिसमापक.

(937)

कार्यालय परिसमापक, पटेल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मछोडीरैयत

दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.-पटेल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मछोडीरैयत, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1952, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/2015/670, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(938)

कार्यालय परिसमापक, बडर समाज कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू.-माँ बडर समाज कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1431, दिनांक 12 जनवरी, 1990 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक परि./2015/10, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(939)

कार्यालय परिसमापक, निमाड महिला प्रा. उप. भण्डार मर्यादित, खण्डवा

दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-निमाड महिला प्रा. उप. स. भण्डार मर्यादित, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1588, दिनांक 21 जुलाई, 2015 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक परि./2016/16, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(940)

कार्यालय परिसमापक, माँ वैष्णव फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, गुजरीखेड़ा

दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू-माँ वैष्णव फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, गुजरीखेड़ा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2040, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2015/12, दिनांक 03 जनवरी, 216 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(941)

कार्यालय परिसमापक,श्रीराम जल गृहण बांध निर्माण स. सं. मर्यादित, बोरगांव बुजूर्ग

दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./क्यू-श्रीराम जल गृहण बांध निर्माण स. सं. मर्यादित, बोरगांव बुजूर्ग, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1809, दिनांक 19 मार्च, 2002 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक परि./2015/12, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. खेडे,
परिसमापक.

(942)

कार्यालय परिसमापक, महालक्ष्मी विस्था. ग्राम पाड़ियादेह मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, नंदाना

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./20/क्यू1.-महालक्ष्मी विस्था. ग्राम पाड़ियादेह मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, नंदाना, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1983, दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 3255, दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. अरणे,
परिसमापक.

(947)

कार्यालय परिसमापक गोल्डन व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा,

दिनांक 20 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

गोल्डन व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2308, दिनांक 07 फरवरी, 2015 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2015/28, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(948)

कार्यालय परिसमापक दादाजी फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सुरगांव जोशी

दिनांक 20 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

दादाजी फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सुरगांव जोशी, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 913, दिनांक 27 जून, 2007 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2015/677, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(949)

कार्यालय परिसमापक गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उन्डेल

दिनांक 20 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

गोपाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उन्डेल, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2242, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/450, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(950)

कार्यालय परिसमापक लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 20 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2229, दिनांक 19 जून, 2013 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/454, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(951)

कार्यालय परिसमापक श्री सिन्धु साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 20 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

श्री सिन्धु साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2309, दिनांक 07 फरवरी, 2015 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/449, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(952)

कार्यालय परिसमापक वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 20 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2224, दिनांक 05 अप्रैल, 2013 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/456, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

एच. सी. महाजन,

परिसमापक.

(953)

कार्यालय परिसमापक विस्था. रेवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सैलानी

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/क्यू.-विस्था. रेवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सैलानी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2338, दिनांक 10 फरवरी, 2015 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/476, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(954)

कार्यालय परिसमापक जय औंकार महि. काम. कारी. सहकारी संस्था मर्या., थापना

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/क्यू.-जय औंकार महि. काम. कारी. सहकारी संस्था मर्या., थापना, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2340, दिनांक 10 फरवरी, 2015 है, को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक/परि./2016/470, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एस. मुवेल,
परिसमापक.

(955)

कार्यालय परिसमापक नर्मदा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सिद्धवरकुट

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

नर्मदा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सिद्धवरकुट, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1623, दिनांक 20 जून, 1996 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 014/80, दिनांक 25 जनवरी, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. जायसवाल,
परिसमापक.

(956)

कार्यालय परिसमापक शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला खण्डवा, के आदेश क्रमांक 15, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. नागर,

(957) परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाऐं, जिला-डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 12 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला डिण्डौरी के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन समितियों के नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ सरस्वती आदिवासी टाटपट्टी सह. समिति मर्या., भुड़कुर.	25/23-05-2008	175/15-03-2013
2.	माँ नर्मदा आदिवासी सहकारी समिति मर्या., बैगानटोला.	26/23-05-2008	175/15-03-2013
3.	लक्ष्मी वनोपज दौना पत्तल निर्माण सहकारी समिति मर्या., दौढ़.	629/21-02-1997	396/17-06-2014
4.	अन्नपूर्णा महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति मर्या., मेहंदवानी.	01/25-11-1999	404/17-06-2014
5.	प्राथमिक महिला उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., शहपुरा	698/04-07-1998	356/11-07-2016
6.	रेवांचल सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी	68/28-03-2014	365/11-07-2016
7.	अन्नपूर्णा कोदों कुटकी उर्पाजन सहकारी समिति मर्या., मुड़की रोड, डिण्डौरी.	17/26-08-2003	360/11-07-2016

अतः मैं जी. एस. परस्ते, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावें/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला डिण्डौरी में कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावें/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उपरोक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास उपरोक्त समितियों का कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जी. एस. परस्ते,

(959) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/37.-ग्रामीण तेलघानी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, पंजीयन क्रमांक 681, दिनांक 25 अप्रैल, 1961 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3447, दिनांक 26 जुलाई, 1974 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है. एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, अशोकनगर मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण तेलघानी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंदौर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(960)

अशोकनगर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/38.-सावित्री बाई फुले महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नयाखेडा, तहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर, पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 06 मई, 2004 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 145, दिनांक 19 फरवरी, 210 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है. एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, अशोकनगर मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सावित्री बाई फुले महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नयाखेडा, तहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(961)

अशोकनगर, दिनांक 06 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/39.-लक्ष्मीबाई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., टीला, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर, पंजीयन क्रमांक 1010, दिनांक 31 मार्च, 2004 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 150, दिनांक 19 फरवरी, 210 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी-देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है. एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा की है.

अतः मैं, भारती शेखावत, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, अशोकनगर मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मीबाई महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., टीला, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भारती शेखावत,

(962) उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक पूर्व निमाड़ जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खण्डवा

दिनांक 25, 27 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./16-17/371.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 259, दिनांक 18 अक्टूबर, 1937 है, को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, इन्दौर के आदेश क्रमांक साख/2016/325, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
परिसमापक.

(963)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	जवाहर गंज प्रा. सह. उप. भंडार मर्या., सेंधवा	787/31-12-1990	819/09-11-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.
2.	जय बालाजी महि. प्रा. सह. भण्डार मर्या., सेंधवा	146/13-09-2003	824/09-11-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.
3.	माँ अनुसुईया महि. मुद्रणालय सह. संस्था मर्या., बलवाड़ी.	184/20-05-2005	838/09-11-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.
4.	आदर्श महि. ग्रा. महि. बहु. सह. संस्था मर्या., बोबलवाड़ी.	159/22-10-2003	854/09-11-2016	श्री के. सी. दशोरे, उप. अंके.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

के. सी. दशोरे,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(964)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.—कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी

को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	बालाजी महि. प्राथ. भ. सह. संस्था मर्या., राजपुर	75/29-10-2002	820/09-11-2016	श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पिपरी बुजुर्ग	74/28-10-2002	351/28-04-2016	श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि.
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., भमोरी	222/11-09-2007	827/09-11-2016	श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि.
4.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., लोहारा	223/11-09-2007	828/09-11-2016	श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. गुप्ता,

(965) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., अजन्दी	229/01-11-2007	829/09-11-2016	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.
2.	ग्रा. डाक सेवक साख सह. संस्था मर्या., ठीकरी	43/26-02-2002	817/09-11-2016	श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

राजेन्द्र सिरसाट,

(966) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री सांई बाबा साख सह. संस्था मर्या., खेतिया	07/08-02-2000	814/09-11-2016	श्री जी. एस. तरोले, व.स.नि.
2.	संत सावंता साख सह. संस्था मर्या., जलगोन	09/22-05-2000	815/09-11-2016	श्री जी. एस. तरोले, व.स.नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जी. एस. तरोले,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(967)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	गायत्री प्रेस मुद्रणालय सह. संस्था मर्या., पानसेमल	08/07-03-2002	410/04-11-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.
2.	शिक्षक कल्याण साख सह. संस्था मर्या., पानसेमल	485/09-11-1972	813/09-11-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.
3.	बालाजी महि. प्रा. उ. भंडार सह. संस्था मर्या., खेतिया.	141/04-09-2003	823/09-11-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.
4.	श्री कृष्ण दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पानसेमल	520/07-12-1976	825/09-11-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.
5.	माताजी ईंधन संस्था मर्या., पानसेमल	219/09-07-2007	844/09-11-2016	श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

बी. एल. जामरे,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(968)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	ओम ईंधन सह. संस्था मर्या., बड़वानी	220/08-08-2007	845/09-11-2016	श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि.
2.	महालक्ष्मी ग्रा. म. बहु. सह. संस्था मर्या., तलवाड़ा बुजुर्ग.	73/25-10-2002	846/09-11-2016	श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि.
3.	ग्रा. म. बहु. सह. संस्था मर्या., मेणीमाता	91/28-03-2003	847/09-11-2016	श्री जे. एस. चौहान, व. स. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जे. एस. चौहान,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(969)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	महालक्ष्मी महिला साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी	24/27-05-2001	816/09-11-2016	श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधि.
2.	लोक स्वास्थ यांत्रिकी साख सह. संस्था मर्या., बड़वानी.	87/25-03-2003	818/09-11-2016	श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधि.
3.	भारती आदर्श महि. प्राथ. उप. भण्डार, बड़वानी	110/20-06-2003	821/09-11-2016	श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधि.
4.	पार्श्वनाथ आदर्श महि. प्राथ. उप. भण्डार, बड़वानी	117/09-07-2003	822/09-11-2016	श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक

को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. बी. कटारे,
अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

(970)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	जागृति महि. प्राथ. उप. भंडार मर्या., पानसेमल	183/26-04-2005	833/09-11-2016	श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक
2.	निमाड बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., मुण्डवाड़ा	232/22-12-2007	834/09-11-2016	श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक
3.	प. निमाड़काम कारीगर सह. संस्था, जुलवानिया	403/25-02-1970	841/09-11-2016	श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक
4.	जय जलदेव मत्स्य सह. संस्था मर्या., बड़वानी	1143/27-06-1997	830/09-11-2016	श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक
5.	माँ रेवा विस्थापित मत्स्य सह. संस्था मर्या., ब्राह्मणगांव.	233/24-12-2007	831/09-11-2016	श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

पवन अग्रवाल,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(971)

दिनांक 06 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	माँ नर्मदा मत्स्य सह. संस्था मर्या., कसरावद	235/04-12-2008	832/09-11-2016	श्री अशोक शर्मा, उप अंकेक्षक
2.	पींक संरक्षण सह. संस्था मर्या., भड़गोन	205/18-11-1965	840/09-11-2016	श्री अशोक शर्मा, उप अंकेक्षक
3.	श्रीकृष्ण खनिज उत्खनन सह. संस्था मर्या., जरवाह	984/02-05-1995	843/09-11-2016	श्री अशोक शर्मा, उप अंकेक्षक

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित

परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तके, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अशोक शर्मा,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(972)

दिनांक 06 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	ग्रा. महि. बहु. सह. संस्था मर्या., सावरियापानी	124/22-07-2003	849/09-11-2016	श्री अशोक काग, सह. नि.
2.	ग्रा. महि. बहु. सह. संस्था मर्या., होलगांव	130/01-08-2003	850/09-11-2016	श्री अशोक काग, सह. नि.
3.	बिरसा मुण्डा ग्रा. म. बहु. स. संस्था मर्या., बोम्या	174/27-07-2004	852/09-11-2016	श्री अशोक काग, सह. नि.
4.	चेतना महिला सह. संस्था मर्या., सिद्ड़ी	243/01-08-2008	853/09-11-2016	श्री अशोक काग, सह. नि

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2016 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

अशोक काग,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(973)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	गुरूओम जिला परिवहन सह. संस्था मर्या., बड़वानी	197/06-02-2006	835/09-11-2016	श्रीमती प्रभा बघेल, सह. नि.
2.	माँ बीजासनी जिला परिवहन सह. संस्था मर्या., बड़वानी.	198/10-02-2006	836/09-11-2016	श्रीमती प्रभा बघेल, सह. नि.

1	2	3	4	5
3.	माँ विजय श्री आ. एवं प्रिंटिंग प्रेस संस्था, बड़वानी	94/16-04-2003	837/09-11-2016	श्रीमती प्रभा बघेल, सह. नि.
4.	माँ नर्मदा श्रामिक सह. संस्था मर्या., अंजड़	265/11-03-2010	839/09-11-2016	श्रीमती प्रभा बघेल, सह. नि.

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 02 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन समक्ष अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्ही भी व्यक्तियों, संस्था, सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा-पुस्तकें, चल/अचल सम्पत्ति, अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें, अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

प्रभा बघेल,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(974)

दिनांक 06 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू 01.-कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं अधि नियम की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सूची अनुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	वर्तमान परिसमापक का आदेश क्र. व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	महालक्ष्मी कुम्भकार सहकारी संस्था मर्या., पलसूद	216/09-01-1991	842/09-11-2016	842/09-11-2016
2.	ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पिपरखेड़ा	97/15-05-2003	848/09-11-2016	848/09-11-2016
3.	आदर्श ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बकवाड़ी.	158/22-01-2005	851/09-11-2016	851/09-11-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हों तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जे. एस. रावत,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(975)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./स्था./27.-जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बालाघाट, जिसका पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 25 अक्टूबर, 1962 है, कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर के आदेश क्रमांक/सं.पं.ज./विधि/2016/46, जबलपुर, दिनांक 07 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डेहरिया,
परिसमापक.

(976)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थित हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, जयसिंहनगर, पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 31 मार्च, 1986 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, जयसिंहनगर, पंजीयन क्रमांक 695, दिनांक 31 मार्च, 1986 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(977)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थित चर्मोउद्योग वनश्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, लपरी, पंजीयन क्रमांक 535, दिनांक 20 अप्रैल, 1965 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् चर्मोउद्योग वनश्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, लपरी, पंजीयन क्रमांक 535, दिनांक 20 अप्रैल, 1965 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(978)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, कुदरी, पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 20 मार्च, 1984 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, कुदरी, पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 20 मार्च, 1984 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(979)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थित विन्ध्य प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् विन्ध्य प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्यादित, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(980)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थित महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चुनिया, तहसील सोगापुर, जिला शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 29 जून, 2006 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चुनिया, तहसील सोगापुर, जिला शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 29 जून, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(981)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत्]

जिले में स्थित महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, वार्ड नं. 4, सोहागपुर, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 29 जून, 2006 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत् परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत् नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, वार्ड नं. 4, सोहागपुर, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 29 जून, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित-निकाय (कार्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

बी. एस. परते,
उपायुक्त सहकारिता.

(982)

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1850.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., छोटा जामन्या, वि. खं. नालछा, जिला धार जिसका पंजीयन क्रं. 930/08-03-1994 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2010/735, दिनांक 25 मई, 2010 अनुसार परिसमापन में लाई गई थी तथा आदेश क्रमांक परिसमापक/2012/1086, दिनांक 11 जुलाई 2012, से श्री आर. आर. बघेल को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा समिति को कार्यशील बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर सदस्यों द्वारा मत्स्य पालन कर सकती है. इस हेतु संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पंद्रह-1-सी-भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., छोटा जामन्या, वि. खं. नालछा, जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार एक अस्थाई कामकाज कमेटी 03 माह में के लिये नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री जगदीश-गंगाराम	अध्यक्ष
2.	श्री करणसिंह मेहताबसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती लीलाबाई जगदीश	संचालक
4.	श्रीमती राधाबाई नरसिंह	संचालक
5.	श्रीमती मांगीबाई मेहकाल	संचालक
6.	श्री दयाराम सुखराम	संचालक
7.	श्री समोतीबाई हरेसिंह	संचालक
8.	श्रीमती मनीषाबाई धनसिंह	संचालक
9.	श्री विजय घीसालाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अम्बरीष वैद्य,
उप-रजिस्ट्रार.

(876)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017-फाल्गुन 19, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाऐं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड, मेहगांव (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), बीना, सागर, रेहली, राहतगढ़, मालथोन (सागर), बटियागढ़, दमोह, जवेरा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, नागौद, अमरपाटन (सतना), त्यौंथर, हनुमना, हुजूर, गुढ़, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंगनगर (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सुबासरा-टप्पा, भानपुरा, गरोठ, श्यामगढ़, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, घटिया (उज्जैन), कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), जोवट, अलीराजपुर, उदयगढ़, च. शे. आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, मनावर, डही (धार), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा, जावरा (सीहोर), रायसेन, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), हरदा (हरदा), जबलपुर, मंझोली (जबलपुर), मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), परासिया, सोंसर, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, उमरेठ (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, छपारा (सिवनी), बालाघाट, कटंगी, किरनापुर, लालबर्रा, बिरसा, (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील श्योपुर, कराहल (श्योपुर), लहार (भिण्ड), मुंगावली, अशोकनगर, पन्ना, पवई (पन्ना), बण्डा, देवरी, गढाकोटा, शाहगढ़ (सागर), हटा पथरिया, तेन्दूखेड़ (दमोह), उचेहरा, रामनगर (सतना), सिरमोर, मऊगंज (रीवा), जैतपुर (शहडोल), मल्हारगढ़, मंदसौर (मंदसौर), मनासा (नीमच), उज्जैन (उज्जैन), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), कुक्षी, धरमपुरी (धार), बड़वानी, पानसेमल, पाटी, निवाली (बड़वानी), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), श्यामपुर, इच्छावर, रेहटी (सीहोर), गोहरगंज, बरेली (रायसेन), खिड़किया (हरदा), पाटन, (जबलपुर), बिछिया (मण्डला), बजाग (डिण्डोरी), जुन्नारदेव, चौरई (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी), वारासिवनी, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील सबलगढ़ (मुरैना), मिहोनारोन (भिण्ड), पलेरा (टीकमगढ़), अशोकनगर,

ईसागढ़ (अशोकनगर), केसली (सागर), मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), सीतामऊ, धुन्धड़का, कयामपुर (मंदसौर), नीमच, जावद (नीमच), कुंडम (जबलपुर), नैनपुर (मंडला), छिन्दवाड़ा, बिछुआ, (छिन्दवाड़ा), लांजी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील चन्देरी (अशोकनगर), जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), अजयगढ़, (पन्ना), खुरई (सागर), मझगवां (सतना), बुढार (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), नागदा (उज्जैन), गंधवानी (धार), नसरूल्लागंज (सीहोर), गैरतगंज (रायसेन), तामिया, चांद, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), कुरई (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सागर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिण्डोरी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, सीधी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला मुरैना में फसल बाजरा व होशंगाबाद में सोयाबीन, डिण्डोरी में धान, धार में सोयाबीन व मक्का अनूपपुर में उड़द, मूँग, तिल व सीधी, उज्जैन, इन्दौर, खरगौन, भोपाल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बाजरा फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	2.0				
2. पोरसा	8.0				
3. मुरैना	2.0				
4. जौरा	9.0				
5. सबलगढ़	33.0				
6. कैलारस	10.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	21.0				
2. कराहल	32.0				
3. विजयपुर	15.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	47.0				
2. भिण्ड	9.0				
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	5.0				
5. लहार	25.2				
6. मिहोना	39.0				
7. रौन					
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई, बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	13.5				
2. डबरा	9.2				
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6.संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	34.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	42.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	50.0				
4. चन्देरी	98.0				
5. शाढौरा	. .				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, ज्वार, उर्दा, मूँगफली, तिल, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	60.0				
4. टीकमगढ़	68.0				
5. बल्देवगढ़	12.0				
6. पलेरा	40.0				
7. ओरछा	. .				
10. *जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	60.2		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	20.4		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	30.0				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बीना	11.6		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	85.3		(2) . .		
3. बण्डा	19.2				
4. सागर	14.6				
5. रेहली	5.0				
6. देवरी	22.1				
7. गढ़ाकोटा	25.8				
8. राहतगढ़	3.0				
9. केसली	37.0				
10. मालथोन	15.4				
11. शाहगढ़	30.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	33.0		4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूँग, मक्का, गन्ना, मूँगफली, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	11.3				
3. दमोह	15.0				
4. पथरिया	25.0		(2) . .		
5. जवेरा	2.0				
6. तेन्दूखेड़ा	22.4				
7. पटेरा	5.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	5.5		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन, उड़द मूँग कम. मक्का, तिल, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	65.0				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	4.1				
5. उचेहरा	20.0				
6. अमरपाटन	10.0				
7. रामनगर	34.0				
8. मैहर	35.0				
9. बिरसिंहपुर	36.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	9.0		4. (1) उड़द, मूँग अधिक. धान, सोयाबीन कम. तुअर, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	32.0				
3. मऊगंज	29.0				
4. हनुमना	16.6		(2) . .		
5. हुजूर	16.0				
6. गुढ़	16.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	1.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	14.0		4. (1) मक्का, धान, को.-कु., सोयाबीन, तुअर, तिल, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	9.0		(2) . .		
4. गोहपारू	10.0				
5. जैतपुर	30.0				
6. बुढार	53.4				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई व उड़द, मूँग व तिल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
1. जैतहरी			4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अरहर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	14.2				
3. कोतमा	4.0		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	148.2				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	1.8		4.(1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	9.0				
3. मानपुर	15.0		(2) . .		
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	9.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	5.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	20.0				
4. गरोठ	10.0				
5. मंदसौर	20.0				
6. श्यामगढ़	10.0				
7. सीतामऊ	47.0				
8. धुंधड़क्का	42.0				
9. संजीत	9.0				
10. कयामपुर	46.4				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	39.0		4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	45.0		मूँगफली, मूँग अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	19.3		सोयाबीन,धान कम.		
			ज्वार समान.		
			(2) . .		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	6.0	का कार्य चालू है	4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	16.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त	
3. तराना	. .				
4. घटिया	10.0				
5. उज्जैन	23.0				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	95.0				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	1.0				
5. गुलाना	15.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूँगफली, कपास, तुअर अधिक. मक्का, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	6.8		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	9.0		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	18.0				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	1.0				
6. च. शेखर आ. नगर	3.8				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	7.6		4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	6.0		(2) . .		
3. धार	16.6				
4. कुक्षी	21.0				
5. मनावर	2.0				
6. धरमपुरी	27.0				
7. गंधवानी	114.0				
8. डही	7.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	23.0		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. ठीकरी	11.0		(2) . .		
3. राजपुर	8.0				
4. सेंधवा	10.0				
5. पानसेमल	30.0				
6. पाटी	18.0				
7. निवाली	27.0				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	29.0		(2) . .		
3. नेपानगर	26.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. . . पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	25.0		(2) . .		
3. आष्टा	12.0				
4. जावरा	3.0				
5. इछावर	23.0				
6. नसरूल्लागंज	59.0				
7. रेहटी	28.3				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	11.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, गन्ना अधिक, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	73.2				
3. बेगमगंज	10.0				
4. गोहरगंज	25.0				
5. बरेली	19.6		(2) . .		
6. सिलवानी	4.0				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	11.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .				
3. शाहपुर	. .		(2) . .		
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन, मूँगमोठ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	7.6		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	19.2		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	31.9				
3. जबलपुर	0.2		(2) . .		
4. मझोली	5.3				
5. कुण्डम	50.2				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	24.2		(2) . .		
3. नैनपुर	38.7				
4. मण्डला	3.2				
5. घुघरी	3.0				
6. नारायणगंज	5.7				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.3		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	17.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	16.8				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	51.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	17.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	15.4				
4. तामिया	78.0				
5. सोंसर	2.0				
6. पांढुर्णा	13.6				
7. अमरवाड़ा	16.4				
8. चौरई	33.2				
9. चाँद	61.5				
10. बिछुआ	51.7				
11. हर्रई	67.0				
12. मोहखेड़ा	56.4				
13. उमरेठ	11.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	12.20		4. (1) धान, ज्वार, को-कु, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	21.20				
4. बरघाट	3.0				
5. कुरई	60.0				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	2.60				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	16.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	40.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	70.0				
4. वारासिवनी	18.3				
5. कटंगी	2.3				
6. किरनापुर	7.2				
7. खैरलांजी	25.0				
8. लालबर्रा	5.0				
9. बिरसा	9.0				
10. परसवाड़ा	52.0				

टीप.-*जिला गुना, छतरपुर, सिंगरौली, आगर, खण्डवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(860)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.